अनुस्मारक पत्र–1/ तत्काल कार्यवाही हेतु
संख्या–225/XLII-1/2022 - 05 (08) 2010

प्रेषक,

चन्द्रेश कुमार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक/सभापति,
संस्कृत शिक्षा/संस्कृत शिक्षा परिषद,
उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा निदेशालय,
देहरादून।

संस्कृत शिक्षा अनुभाग /निदेशालय भवन/2022 देहरादूनः दिनांक 15 जून 2022

विषयः संस्कृत शिक्षा निदेशालय/उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद को उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार के भवन (द्वितीय तल) में अस्थायी रूप से संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संस्कृत शिक्षा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–103/ **XLII-1/2022-05(08) 2010** दिनांक 19 मई 2022 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त पत्र द्वारा राज्य पर अनावश्यक रूप से आ रहे व्यय भार से बचने के उद्देश्य से राज्य सरकार की वित्तीय मितव्ययिता सम्बन्धी नीति के दृष्टिगत रू0 52,000/–प्रति माह किराये की दर से निजी किराये के भवन में संचालित संस्कृत शिक्षा निदेशालय एवं उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद के कार्यालयों को, स्थायी भवन निर्माण हेतु देहरादून में आवंटित 2.3840 है0 भूमि पर कब्जा प्राप्त होने व उस पर संस्कृत शिक्षा निदेशालय के भवन निर्माण होने तक, अस्थायी रूप से उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार के भवन में रिक्त (द्वितीय तल) में संचालित किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

शासन द्वारा की गयी अपेक्षा के अनुरूप माह मई 2022 के अन्तिम तिथियों तक प्रत्येक दशा में संस्कृत शिक्षा निदेशालय व उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद के कार्यालय को उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार के भवन (द्वितीय तल) में अस्थायी रूप से संचालित कर लिया जाना था ताकि माह जून 2022 से किराये के रूप में अनावश्यक रूप से भुगतान किये जा रहे रू0 52,000/–धनराशि की राज्यहित में बचत सुनिश्चित कर ली जायेगी परन्तु ज्ञात हुआ है कि 14 जून 2022 तक भी संस्कृत शिक्षा निदेशालय/उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद को उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार के भवन (द्वितीय तल) में स्थापित नहीं किया गया है। इस कार्य में बरती जा रही उदासीनता शासकीय हित के विपरीत होने के साथ–साथ सम्बन्धित भवन स्वामी को अनावश्यक रूप से किराये के माध्यम से लाभ पहुँचाने का प्रयास किया जाना भी परिलक्षित हो रहा है।

पुनः अपेक्षा की जाती है कि आप प्रत्येक दशा में माह जून 2022 तक संस्कृत शिक्षा निदेशालय/उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद को उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार के भवन (द्वितीय तल) में अस्थायी रूप से संचालित करना सुनिश्चित करायें। माह जून 2022

के उपरान्त किसी भी दशा में भवन स्वामी को भवन के किराये का भुगतान नहीं किया जायेगा। यदि उक्त निर्देशों के उपरान्त भी समय पर इसका अनुपालन नहीं किया जाता है तो यह शासन के आदेशों की अवहेलना होगी साथ ही इसे वित्तीय अनियमिता की श्रेणी में भी माना जायेगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय,

(चन्द्रेश कुमार)
सचिव
14.06.22

पृष्ठांकन संख्या–225/**XLII-1/ 2022 - 05 (08) 2010** तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– मुख्य निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।

2– प्रमुख निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, संस्कृत शिक्षा उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।

3– प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

4– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव/उत्तराखण्ड शासन।

5– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल

6– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

7– वरिष्ठ कोषाधिकारी, साईबर कोषागार, देहरादून।

8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
उप सचिव।